आर.एन.मित्तल जे., से पहले

वरयाम सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

ईशर सिंह-प्रतिवादी

1985 का सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 428

25 सितम्बर 1985

पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट (1913 का 1) - धारा 8(2) - प्री-एम्प्शन के लिए दो मुकदमे - एक किरायेदार द्वारा और दूसरा बेटे द्वारा - मुकदमों के लंबित रहने के दौरान धारा 8(2) के तहत अधिसूचना जारी की गई जिसमें घोषणा की गई कि प्री-एम्प्शन का कोई अधिकार नहीं है। - बिक्री से संबंधित छूट मौजूद रहेगी - अधिसूचना के मद्देनजर दोनों मुकदमे खारिज कर दिए गए - अकेले बेटे द्वारा दायर की गई अपील - एक अन्य कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना रद्द कर दी गई - बेटे की अपील की अनुमति दी गई और मामले को अपील के निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया गुण-किरायेदार अपने मुकदमे को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन दाखिल कर रहा है - ट्रायल कोर्ट आवेदन की अनुमति दे रहा है और मुकदमे को पुनर्जीवित करने का आदेश दे रहा है - ट्रायल कोर्ट का ऐसा आदेश - क्या कानूनी है।

निर्णय, कि किरायेदार द्वारा दायर प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे का मुकदमा पंजाब प्री-एम्प्शन अधिनियम, 1913 की धारा 8(2) के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर खारिज कर दिया गया था और उस फैसले के खिलाफ कोई अपील अपीलीय अदालत में नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में, वह निर्णय पक्षों के बीच अंतिम बन गया। किसी न्यायालय का निर्णय जो पक्षों के बीच अंतिम हो गया है, उसे उसी न्यायालय द्वारा समीक्षा या अन्यथा के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है; इस आधार पर कि बाद में उच्च न्यायालय द्वारा एक और निर्णय दिया गया है जिसके आधार पर न्यायालय अपने पहले के दृष्टिकोण को बदल सकता है। ऐसे में मुकदमे को दोबारा शुरू करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश कानूनी नहीं है।

(पैरा 6)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री टी. सी. गुप्ता, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अम्बाला के दिनांक 9 जनवरी, 1985 के आवेदन और मुकदमे को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध। इसके अलावा आदेश दिया गया कि दूसरा मुकदमा, अर्थात् ईशर सिंह बनाम वरयाम सिंह, जिसका पुराना पंजीकरण संख्या 112/79 है, अलग से पंजीकृत किया जाएगा और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और आगे 19 अप्रैल, 1985 को वादी के साक्ष्य के लिए नए सिरे से आने का आदेश दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील एच. एन. मेहतानी।

प्रतिवादी की ओर से आई. एस. सैनी, अधिवक्ता।

निर्णय

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे. (मौखिक)

(1) यह पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अम्बाला के 9 जनवरी, 1985 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि अविनाश चंद्र विवादग्रस्त भूमि के मालिक थे। उन्होंने इसे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को 7,625 रुपये में बेच दिया, - 18 अप्रैल, 1978 को बिक्री विलेख के माध्यम से। प्री-एम्प्शन के लिए दो मुकदमे दायर किए गए थे - एक विक्रेता के बेटे विकास द्वारा (1979 का मुकदमा संख्या 108)) और दूसरा विक्रेता के किरायेदार ईशर सिंह द्वारा (मुकदमा संख्या 112 ऑफ1979)। ट्रायल कोर्ट द्वारा 22 सितंबर, 1980 के आदेश के तहत दोनों मुकदमों को समेकित कर दिया गया था और यह आदेश दिया गया था कि साक्ष्य 1979 के मुकदमा संख्या 108 में दर्ज किए जाएंगे। जब मुकदमे लंबित थे, हरियाणा सरकार ने 24 सितंबर 1981 को एक अधिसूचना जारी की। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 8(2) के तहत यह घोषणा करते हुए कि विवाद में भूमि की बिक्री के संबंध में प्री-एम्प्शन का कोई अधिकार मौजूद नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायाधीश ने 29 अक्टूबर 1981 को दोनों मुकदमे खारिज कर दिये।

(3) विकास ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष अपने खिलाफ पारित डिक्री के खिलाफ अपील दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, सी.डब्ल्यू.पी. में अधिनियम की धारा 8(2) के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। 1982 की संख्या 816 (ईशर सिंह बनाम हरियाणा राज्य) का फैसला 23 अगस्त, 1982 को हुआ। अधिसूचना को रद्द करने के मद्देनजर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 10 नवंबर, 1982 को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया। और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायाधीश के पास भेज दिया। रिमांड के बाद विकास की मौत हो गई. वादी बनने के लिए उनके कानूनी प्रतिनिधियों के आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

(4) 1979 के वाद संख्या 112 के वादी ईशर सिंह ने भी 26 अक्टूबर 1983 को एक आवेदन दिया कि उसके मुकदमे को दूसरे मुकदमे के साथ लिया जाए और उसके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट ने विकास के कानूनी प्रतिनिधियों के आवेदन को खारिज करते हुए ईशर सिंह के मुकदमे को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया। प्रतिवादी-प्रतिवादी उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में इस न्यायालय में आये हैं।

(5) श्री मेहतानी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ईशर सिंह द्वारा दायर मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था और उक्त फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। नतीजतन, विकास द्वारा दायर अपील में रिमांड आदेश के बाद ईशर सिंह प्रतिवादी के मुकदमे को पुनर्जीवित करने का आदेश नहीं दिया जा सका। दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री सैनी ने जोरदार तर्क दिया कि जैसे ही अधिनियम की धारा 8(2) के तहत अधिसूचना रद्द कर दी गई, वह अधिसूचना कभी अस्तित्व में ही नहीं मानी जाएगी। इसलिए, रिमांड के आदेश के बाद प्रतिवादी अपने मुकदमे को पुनर्जीवित कर सकता है। अपने तर्क के समर्थन में वह हरि किशन और अन्य बनाम एमएसटी गैंदी और अन्य ([1]) और नवाबखान अब्दसखान बनाम गुजरात राज्य ([2]) पर भरोसा करते हैं।

(6) मैंने विद्वान वकील के तर्कों पर उचित ध्यान दिया है। हालाँकि, मैं श्री मेहतानी की बात से सहमत हूँ। मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं. प्रतिवादी द्वारा दायर प्रीएम्प्शन द्वारा कब्जे के मुकदमे को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उस फैसले के खिलाफ अपीलीय अदालत में कोई अपील नहीं की गई थी।

इन परिस्थितियों में, वह निर्णय पक्षों के बीच अंतिम बन गया। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी न्यायालय का कोई निर्णय जो पक्षों के बीच अंतिम हो गया है, उसे उसी न्यायालय द्वारा समीक्षा के माध्यम से या अन्यथा इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि बाद में उच्च न्यायालय द्वारा एक और निर्णय दिया गया है जिसके आधार पर न्यायालय अपना पूर्व दृष्टिकोण बदल सकता है। उपरोक्त टिप्पणियों में, मुझे लछमी नारायण बालू बनाम घीसा बिहारी और अन्य ([3]) से समर्थन मिलता है, जिसमें दुआ, जे. (जैसा कि वह तब था) ने कहा था कि एक बार किसी मामले का फैसला हो जाने के बाद, यह शायद ही स्वीकार्य हो उस निर्णय की केवल इस आधार पर समीक्षा करना कि, उसकी

---

[1] आई.एल.आर. (1966)2 पी.बी. 856.

[2] (1974)2 एस.सी.सी. 121.

[3] एआईआर 1960 पंजाब 43.

तारीख के बाद, एक और निर्णय दिया गया है, जिसका अनुपात न्यायालय को अपने पिछले दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है।

(7) हरि किशन के मामले में (सुप्रा) तथ्य यह थे कि कुछ जमीन दो भाइयों द्वारा बेची गई थी। प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे के लिए दो मुकदमे दायर किए गए थे, एक विक्रेताओं की मां द्वारा और दूसरा उनकी संपार्श्विक द्वारा। दोनों वादों को समेकित किया गया और एक ही निर्णय से उनका निपटारा कर दिया गया। माँ को एक विशेष तिथि से पहले बिक्री प्रतिफल के भुगतान पर प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे की डिक्री दी गई थी, ऐसा न करने पर उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। उसके मुकदमे के खारिज होने की स्थिति में, संपार्श्विक को उसी प्रतिफल के भुगतान पर किसी अन्य तारीख तक कब्जे के लिए डिक्री दी गई थी, जिसमें विफल रहने पर उनका मुकदमा भी खारिज कर दिया गया था। उनके द्वारा दायर मुकदमे में मां के पक्ष में दिए गए फैसले के खिलाफ संपार्श्विक ने जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील की। वह अपील खारिज कर दी गई और जमानत इस न्यायालय में दूसरी अपील में आई। दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट में संशोधन किया गया और उस श्रेणी के व्यक्तियों को प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रदान करने वाला प्रावधान हटा दिया गया, जिसमें माँ और संपार्श्विक आते थे। आगे यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी न्यायालय प्री-एम्प्शन के मुकदमे में डिक्री पारित नहीं करेगा, चाहे वह पंजाब प्री-एम्प्शन (संशोधन) अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में शुरू किया गया हो, जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत था। उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, विद्वान न्यायाधीश ने दोनों मुकदमों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भले ही प्रतिवादी ने डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की हो, अपीलीय अदालत प्रतिद्वंद्वी प्री-एम्प्टर द्वारा दायर अपील में डिक्री को रद्द कर देगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33, इस कारण से कि अपील मुकदमे की दोबारा सुनवाई है और अपील के लंबित रहने के दौरान होने वाले कानून में किसी भी बदलाव को अपील पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश ने संहिता के आदेश 41 नियम 33 पर भरोसा किया। वर्तमान मामले में, उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि मुकदमे को ट्रायल कोर्ट द्वारा पुनर्जीवित करने का आदेश दिया गया है। नवाबखान अब्बासखान के मामले (सुप्रा) में निर्वासन आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत इस कारण से रद्द कर दिया गया था कि इसने ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का उल्लंघन किया था। इस प्रकार उस मामले में निर्धारण का प्रश्न बिल्कुल अलग था। मेरे विचार में, दोनों मामलों में अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

(8) उपरोक्त कारणों से, मैं पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करता हूं, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करता हूं और मानता हूं कि उसे ईशर सिंह प्रतिवादी के मुकदमे को बहाल करने का कोई अधिकार नहीं है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा